न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 09 / 2020

प्रार्थी

1. रमेश भाई पुत्र गोदाराम
   जाति नाई निवासी हाजाणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बाबूलाल पुत्र गोदाराम
   जाति नाई निवासी हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. छोगाराम पुत्र दानाराम
   जाति पुरोहित निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी, रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री गंगाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण — अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 14/1/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 169 रकबा 13—00 बीघा व खसरा नम्बर 170 रकबा 26—06 बीघा की आयी हुई है। प्रार्थी का सही नाम रमेश भाई है जबकि उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का घर में बोले जाने वाला नाम रिड़मलराम दर्ज कर दिया गया जहै। जबकि ग्राम हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 430 व 383 में प्रार्थी का नाम सही नाम रमेश भाई ही दर्ज है। तथा प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में रमेश भाई ही दर्ज है। प्रार्थी को अपनी पैतृक खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दुरूस्ती कराने हेतु उक्त प्रार्थना प्रस्तुत आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। बाबजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:46 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 03 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 11 दिनांक 14.12.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रमेश भाई व रिडमराम दोनों ही एक ही व्यक्ति है तथा एक ही व्यक्ति के रेकर्ड में अलग—अलग नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम उसके खेत ग्राम मघाणी मेगवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 169, 170 रकबा क्रमशः 2.1367, 2.1529

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

हैक्टेयर में "रिडमलराम पुत्र गोदाराम" के स्थान पर "रमेश भाई पुत्र गोदाराम" किया जाना उचित है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता गंगाराम चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी का नाम ग्राम हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नमबर 430 व 383 में रमेश भाई दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम रमेश भाई दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम ग्राम मघाणी मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 169 व 170 के राजस्व रेकर्ड में भी "रिडमलराम पुत्र गोदाराम" के स्थान पर "रमेश भाई पुत्र गोदाराम" शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 169, 170 रकबा क्रमशः 2.1367, 2.1529 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम "रिडमलराम पुत्र गोदाराम के स्थान पर "रमेश भाई पुत्र गोदाराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 14/1/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
(S.D.O) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:46 IST
Reason: SelfAttested